

उत्तराखण्ड शासन,  
गृह अनुभाग-5,  
संख्या-265/XX(5)/14-13(हो0गा0)/2002  
देहरादून: दिनांक 25 फरवरी, 2014

अधिसूचना

राज्यपाल, "उत्तराखण्ड प्रदेश होमगार्ड्स कल्याण कोष नियमावली, 2002 में उत्तराखण्ड राज्य के परिपेक्ष में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तराखण्ड प्रदेश होमगार्ड्स कल्याण कोष (संशोधन) नियमावली, 2014

- |                          |   |  |
|--------------------------|---|--|
| संक्षिप्त नाम व प्रारम्भ | 1 | (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड प्रदेश होमगार्ड्स कल्याण कोष (संशोधन) नियमावली, 2014 है।<br>(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।   |
| नियम 4 का संशोधन         | 2 | उत्तराखण्ड प्रदेश होमगार्ड्स कल्याण कोष नियमावली, 2002 (जिसे आगे मूल नियमावली कहा गया है) में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम, 4 के प्रस्तर-क 3, ख तथा (4) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिये गये नियम रख दिये जायेंगे, अर्थात् |

स्तम्भ-1  
वर्तमान नियम  
क 3 सामान्य इयूटी के समय मृत्यु होने की दशा में- रूपये दस हजार मात्र

स्तम्भ-2  
एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम  
"क 3 सामान्य इयूटी के समय इयूटी स्थल पर आने-जाने के 24 घण्टे के अन्तर्गत मृत्यु होने पर (यदि दुर्घटना बीमा से आच्छादित न हो)- अधिकतम रूपये एक लाख मात्र।

(ख) इयूटी/प्रशिक्षण से सीधे चिकित्सालय में भर्ती होने पर चिकित्सालय में इलाज करने के दौरान मृत्यु होने पर (यदि दुर्घटना बीमा से आच्छादित न हो)- अधिकतम रूपये एक लाख मात्र।"

(4) उपरोक्त विभिन्न श्रेणियों की स्थायी अपंगता की दशा में उक्त श्रेणी के लिए अनुमन्य धनराशि का आधा तथा गम्भीर रूप से घायल होने की दशा में अनुमन्य धनराशि की चौथाई धनराशि सहायता के रूप में दी जायेगी।

ख आपदा हेतु-  
होमगार्ड्स अवैतनिक सदस्यों तथा अराजपत्रित वैतनिक सदस्यों की इयूटी/प्रशिक्षण के दौरान किसी प्रकार की विपत्ति (आपदा) की दशा में

"(4) (क) सामान्य इयूटी में स्थायी अपंगता होने पर वास्तविक व्यय वाउचर चिकित्सक के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त (यदि दुर्घटना बीमा से आच्छादित न हो)- अधिकतम रूपये पचहत्तर हजार मात्र।"

"(ख) सामान्य इयूटी में घायल होने पर वास्तविक व्यय वाउचर चिकित्सक के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त (यदि दुर्घटना बीमा से आच्छादित न हो)- अधिकतम रूपये पचास हजार मात्र।"

"(ग) गम्भीर एवं असाध्य बीमारी होने पर वास्तविक व्यय वाउचर चिकित्सक के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त (यदि दुर्घटना बीमा से आच्छादित न हो)- अधिकतम रूपये पचास हजार मात्र।"

"ख प्राकृतिक आपदा होने पर सम्बन्धित अधिकारी की संस्तुति व आकलन के आधार पर अधिकतम रूपये पचास हजार मात्र।"

एक बार की एकमुश्त  
सहायता जो अधिकतम  
रू० 1,000/- होगी।

3

नये नियम का जोडा  
जाना

- 3 मूल नियमावली के नियम, ख के पश्चात एक नया नियम ख 1 जोड दिया जायेगा, अर्थात्—  
"ख 1 अधिवर्षता आयु 60 वर्ष पूर्ण करने पर सेवानिवृति के दौरान न्यूनतम 10 वर्ष की अनवरत संतोषजनक सेवा— अधिकतम रूपये पचास हजार मात्र"



(मंजुल कुमार जोशी)  
सचिव।